न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2019 (डूंगरपुर डिक्री)

सूरजमल पिता अमरजी साद, जाति साद, निवासी रामगढ़, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती जसू पिता अमरजी साद, जाति साद, निवासी रामगढ़, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर हाल निवासी जावल, तहसील दलोदा, जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश)
2. कमला पिता अमरजी साद, जाति साद, निवासी रामगढ़, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर हाल निवासी घुघरा, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)
3. भूमिधारी, तहसीलदार आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 24.10.2018 प्र.सं. 66/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री एन.के. जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णय **दिनांक 06–04–2021**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद विभाजन, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अमरजी साद के वारिसान होकर मौजा रामगढ़ में उनकी पैत्रृक आराजी नंबर 635, 636, 637, 639, 645, 1219, 1736 व 1741 किता 8 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा होकर वह अपने हिस्से पर काबिज है। अतः विवादित भूमि का विभाजन कराया जावे एवं स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने वादियां के अधिवक्ता की उपस्थिति में अपने निर्णय दिनांक 24–10–2018 से वादीया का स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री एन. के. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 औपचारिक पक्षकार की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

अपीलान्ट की ओर से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की प्रथम बार जानकारी दिनांक 25–09–2019 को पटवारी द्वारा बंटवारा स्कीम बनाये जाने पर हुई। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट की ओर से आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके साथ गोदनामे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी। उक्त दस्तावेज मात्र फोटो प्रति होने से रेकार्ड पर लेने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। तद्नुसार आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि वादिया ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अमरजी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अमरजी ने अपीलान्ट को गोद रखा तथा अपीलान्ट ने ही अमरजी की सेवा की एवं समस्त एवं उसी का विवादित आराजियात पर कब्जा है। वादिया 40–50 वर्षो से मन्दसौर में रहती है एवं कभी भी खेती नहीं की। अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि विवादित आरा[illegible] 635, 636, 637, 639, 645, 1219, 1736 व 1741 किता 8 रकबा 95 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रेकार्ड में पक्षकारान के सहखातेदारी में अंकित है। अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

साथ न्यायालय हाजा में गोदनामें की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो मात्र फोटो प्रति होने से उसे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2018 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 06–04–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

सूरजमल पिता अमरजी साद, निवासी रामगढ़, तह0 आसपुर, जिला डूंगरपुर बनाम **श्रीमती जसू पिता अमरजी साद, निवासी रामगढ़, हाल नि0 जावल, तह0 दलोदा, जिला मन्दसौर व अन्य**

अपील नं.....**17 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **आसपुर** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....24**.....माह.....**10**.....**2018**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**06.....**माह.....**04**.....सन् **2021** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री प्रवीण शुक्ला** .....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री एन. के. जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–10–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**06**.....माह.....**04**.....**2021** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:32:49 IST
Reason: SelfAttested